मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 58

माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2224.14	2833.24	5057.38	2224.14	3000.00	5224.14	2710.49	3090.00	5800.49
पूंजी		*0.01*	*...*	*0.01*	*0.01*	*...*	*0.01*	*0.01*	*...*	*0.01*
जोड़		**2224.15**	**2833.24**	**5057.39**	**2224.15**	**3000.00**	**5224.15**	**2710.50**	**3090.00**	**5800.50**
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	2251	...	27.54	27.54	...	30.17	30.17	...	29.18	29.18
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.05	0.05
माध्यमिक शिक्षा										
3. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	2202	19.00	36.00	55.00	17.10	36.25	53.35	17.10	46.13	63.23
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2202	85.00	559.49	644.49	100.80	581.49	682.29	164.70	598.94	763.64
5. नवोदय विद्यालय समिति	2202	392.00	131.00	523.00	385.20	139.66	524.86	495.00	143.85	638.85
6. सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)	2202	12.50	...	12.50	5.17	...	5.17	7.00	...	7.00
	3601	83.00	...	83.00	18.68	...	18.68	37.25	...	37.25
	3602	1.50	...	1.50	0.45	...	0.45	0.75	...	0.75
	जोड़	*97.00*	*...*	*97.00*	*24.30*	*...*	*24.30*	*45.00*	*...*	*45.00*
7. अपंग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	2202	12.20	...	12.20	10.55	...	10.55	13.30	...	13.30
	3601	26.60	...	26.60	23.50	...	23.50	27.00	...	27.00
	3602	0.20	...	0.20	0.15	...	0.15	0.20	...	0.20
	जोड़	*39.00*	*...*	*39.00*	*34.20*	*...*	*34.20*	*40.50*	*...*	*40.50*
8. विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार	2202	7.75	...	7.75	4.82	...	4.82	4.00	...	4.00
	3601	12.00	...	12.00	7.70	...	7.70	4.75	...	4.75
	3602	0.25	...	0.25	0.08	...	0.08	0.25	...	0.25
	जोड़	*20.00*	*...*	*20.00*	*12.60*	*...*	*12.60*	*9.00*	*...*	*9.00*
9. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	2202	7.00	...	7.00	5.40	...	5.40	3.60	...	3.60
10. उपलब्धता एवं समानता	2202	21.00	...	21.00	5.40	...	5.40	6.40	...	6.40
	3601	8.50	...	8.50	...	...	...	2.10	...	2.10
	3602	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*30.00*	*...*	*30.00*	*5.40*	*...*	*5.40*	*9.00*	*...*	*9.00*
11. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन	2202	3.00	13.40	16.40	2.70	13.40	16.10	3.60	13.80	17.40
12. अन्य कार्यक्रम	2202	1.00	1.38	2.38	0.54	1.38	1.92	0.01	1.38	1.39
जोड़-माध्यमिक शिक्षा		**693.00**	**741.27**	**1434.27**	**588.24**	**772.18**	**1360.42**	**787.51**	**804.10**	**1591.61**
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा										
13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2202	541.75	1113.80	1655.55	625.27	1182.85	1808.12	708.82	1218.35	1927.17
14. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2202	67.00	1.00	68.00	60.30	...	60.30	54.00	1.00	55.00
15. विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार	3601	...	1.00	1.00	...	59.00	59.00	...	58.00	58.00
16. भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	2202	17.50	24.00	41.50	15.75	24.00	39.75	15.75	24.00	39.75
17. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	2202	2.80	5.00	7.80	2.52	4.80	7.32	2.52	5.00	7.52
18. ग्रामीण विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	2202	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.90	...	0.90
19. शिक्षण कॉमनवेल्थ	2202	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
20. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	2202	2.75	4.00	6.75	2.47	3.80	6.27	1.80	4.00	5.80
21. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	2202	2.40	2.40	4.80	1.80	2.35	4.15	1.80	2.50	4.30
22. शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान	2202	...	1.93	1.93	...	2.13	2.13	...	2.34	2.34
23. अन्य कार्यक्रम	2202	4.80	1.51	6.31	2.83	9.29	12.12	3.87	1.61	5.48
जोड़-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा		**640.00**	**1156.64**	**1796.64**	**710.95**	**1290.22**	**2001.17**	**789.46**	**1318.80**	**2108.26**
भाषाओं का विकास										
24. हिन्दी निदेशालय	2202	7.34	5.24	12.58	6.61	5.53	12.14	6.61	5.72	12.33
25. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	2202	2.10	1.40	3.50	1.88	1.42	3.30	1.89	1.47	3.36

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
26. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल	2202	3.00	6.50	9.50	2.70	6.70	9.40	2.70	6.90	9.60
27. हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति	2202	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3601	12.98	...	12.98	14.38	...	14.38	14.38	...	14.38
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*13.00*	*...*	*13.00*	*14.40*	*...*	*14.40*	*14.40*	*...*	*14.40*
28. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद	2202	11.00	...	11.00	9.90	...	9.90	9.90	...	9.90
29. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान एवं क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	2202	7.95	7.80	15.75	8.06	7.80	15.86	8.06	8.20	16.26
30. एनसीपीएसएल	2202	0.85	...	0.85	0.76	...	0.76	0.77	...	0.77
31. राष्ट्रीय भारतीय भाषा आयोग	2202	0.05	...	0.05	0.04	...	0.04	...	...	...
32. आधुनिक भारतीय भाषाएं	2202	4.00	...	4.00	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60
	3601	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80
	जोड़	*4.00*	*0.80*	*4.80*	*3.60*	*0.80*	*4.40*	*3.60*	*0.80*	*4.40*
33. तमिल भाषा का विकास	2202	...	...	...	...	...	...	0.90	...	0.90
34 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	2202	19.50	16.00	35.50	15.30	16.00	31.30	15.57	16.50	32.07
35. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	2202	2.50	...	2.50	1.35	...	1.35	2.25	...	2.25
36. संस्कृत शिक्षा का विकास	2202	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	3601	16.00	...	16.00	12.60	...	12.60	15.10	...	15.10
	3602	0.40	...	0.40	0.36	...	0.36	0.40	...	0.40
	जोड़	*16.42*	*...*	*16.42*	*12.98*	*...*	*12.98*	*15.52*	*...*	*15.52*
37. संस्कृत - अन्य	2202	1.58	...	1.58	1.42	...	1.42	1.58	...	1.58
38. क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम	3601	29.00	...	29.00	21.60	...	21.60	26.10	...	26.10
39. मानव मूल्य शिक्षा	2202	3.00	...	3.00	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70
जोड़-भाषाओं का विकास		**121.29**	**37.74**	**159.03**	**103.30**	**38.25**	**141.55**	**112.55**	**39.59**	**152.14**
सामान्य										
40. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना/ग्रामीण क्षेत्रों से मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां	2202	0.09	0.73	0.82	0.02	0.67	0.69	...	0.75	0.75
	3601	6.65	1.41	8.06	0.82	1.41	2.23	...	1.41	1.41
	3602	0.26	0.08	0.34	0.06	0.08	0.14	...	0.08	0.08
	जोड़	*7.00*	*2.22*	*9.22*	*0.90*	*2.16*	*3.06*	*...*	*2.24*	*2.24*
41. राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना	2202	...	...	...	...	...	...	0.15	...	0.15
	3601	...	...	...	...	...	...	9.40	...	9.40
	3602	...	...	...	...	...	...	0.35	...	0.35
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*9.90*	*...*	*9.90*
42. पुस्तक संवर्धन	2202	6.71	7.40	14.11	4.68	7.40	12.08	9.54	10.00	19.54
43. भारतीय राष्ट्रीय आयोग/ यूनेस्को	2202	2.59	7.48	10.07	2.36	7.37	9.73	3.88	8.43	12.31
44. आयोजना मानदण्ड	2202	3.55	2.65	6.20	3.38	3.39	6.77	3.20	4.92	8.12
45. सांख्यिकी	2202	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
46. प्रशासन	2202	...	4.71	4.71	...	4.71	4.71	...	4.71	4.71
जोड़-सामान्य		**19.86**	**24.46**	**44.32**	**11.32**	**25.03**	**36.35**	**26.53**	**30.30**	**56.83**
जोड़-सामान्य शिक्षा		**1474.15**	**1960.11**	**3434.26**	**1413.81**	**2125.68**	**3539.49**	**1716.05**	**2192.79**	**3908.84**
तकनीकी शिक्षा										
47. सामुदायिक पालिटेक्निक्स	2203	29.23	2.00	31.23	31.71	0.80	32.51	26.10	1.00	27.10
48. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	200.00	449.02	649.02	180.00	437.02	617.02	198.00	428.00	626.00
49. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	80.00	156.42	236.42	72.00	195.60	267.60	81.00	195.66	276.66
50. छात्रवृत्तियां/अप्रेंटरशिप प्रशिक्षण	2203	15.00	10.00	25.00	13.50	10.49	23.99	18.25	10.80	29.05
51. भारतीय प्रबंध संस्थान,	2203	15.00	30.00	45.00	22.50	22.00	44.50	31.51	30.00	61.51
52. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2203	30.00	82.00	112.00	27.00	82.00	109.00	28.00	83.00	111.00
53. ए.आई.सी.टी.ई. तकनीकी शिक्षा ब्यूरो तथा इसकी समिति एवं बोर्डों का पुनर्गठन, पुनर्संरचना तथा सुदृढ़ीकरण	2203	60.00	30.00	90.00	54.00	10.00	64.00	91.48	10.00	101.48
54. प्रौद्योगिकी विकास मिशन	2203	4.00	...	4.00	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60
55. अपंगों के लिए पालीटेक्नीक	2203	4.00	...	4.00	1.80	...	1.80	3.60	...	3.60

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
56. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर	2203	5.00	4.50	9.50	1.35	4.50	5.85	5.40	4.63	10.03
57. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान	2203	3.00	8.00	11.00	2.70	8.00	10.70	3.60	8.00	11.60
58. राष्ट्रीय फोर्ज और फाउंड्री प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	3.00	4.71	7.71	2.70	4.71	7.41	3.60	4.71	8.31
59. योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय	2203	4.00	6.00	10.00	3.60	6.00	9.60	3.60	6.00	9.60
60. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	2203	12.00	16.00	28.00	10.80	16.40	27.20	10.80	17.00	27.80
61. संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	3.00	12.00	15.00	2.70	12.00	14.70	2.70	12.00	14.70
62. आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद	2203	5.00	4.50	9.50	4.50	4.50	9.00	9.00	4.63	13.63
63. आई.एस.एम., धनबाद	2203	3.00	15.00	18.00	2.70	15.00	17.70	4.50	15.45	19.95
64. अनुसंधान और विकास	2203	25.00	...	25.00	7.20	...	7.20	0.01	...	0.01
65. आधुनिकीकरण और पुरानी प्रणाली को हटाना	2203	5.00	...	5.00	1.35	...	1.35	0.01	...	0.01
66. तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र	2203	5.00	...	5.00	1.35	...	1.35	0.01	...	0.01
67. प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड	2203	1.50	2.00	3.50	1.35	2.18	3.53	2.00	2.18	4.18
68. व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2203	2.50	...	2.50	1.12	...	1.12	2.17	...	2.17
69. शिक्षा का व्यावसायीकरण	2202	2.00	...	2.00	0.63	...	0.63	1.00	...	1.00
	3601	47.00	...	47.00	10.08	...	10.08	16.50	...	16.50
	3602	1.00	...	1.00	0.09	...	0.09	0.50	...	0.50
	जोड़	*50.00*	*...*	*50.00*	*10.80*	*...*	*10.80*	*18.00*	*...*	*18.00*
70. सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	2203	50.00	...	50.00	...	...	...	0.01	...	0.01
71. भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम	2203	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
72. अन्य कार्यक्रम	2203	32.76	0.75	33.51	35.33	0.26	35.59	86.43	22.27	108.70
	4202	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*32.77*	*0.75*	*33.52*	*35.34*	*0.26*	*35.60*	*86.44*	*22.27*	*108.71*
पूर्वोत्तर क्षेत्र										
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास										
73. पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, ईटानगर	2552	3.00	12.00	15.00	2.25	12.00	14.25	0.01	12.00	12.01
जोड़-तकनीकी शिक्षा		**750.00**	**844.90**	**1594.90**	**597.92**	**843.46**	**1441.38**	**733.40**	**867.33**	**1600.73**
खेलकूद और युवा सेवाएं										
74. शारीरिक शिक्षा	2204	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65
जोड़-खेलकूद और युवा सेवाएं		**...**	**0.65**	**0.65**	**...**	**0.65**	**0.65**	**...**	**0.65**	**0.65**
75. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	212.42	...	212.42	261.05	...	261.05
कुल जोड़		***2224.15***	***2833.24***	***5057.39***	***2224.15***	***3000.00***	***5224.15***	***2710.50***	***3090.00***	***5800.50***
ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना										
1. सामान्य शिक्षा	22202	1475.00	...	1475.00	1415.37	...	1415.37	1717.55	...	1717.55
2. तकनीकी शिक्षा	22203	747.00	...	747.00	595.67	...	595.67	733.39	...	733.39
3. खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	3.00	...	3.00	214.67	...	214.67	261.06	...	261.06
जोड़-केन्द्रीय आयोजना		**2225.00**	**...**	**2225.00**	**2225.71**	**...**	**2225.71**	**2712.00**	**...**	**2712.00**
मांग संख्या 101		0.85	...	0.85	1.56	...	1.56	1.50	...	1.50

** इसमें शहरी विकास मंत्रालय का निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।*

1. **सचिवालयः** सचिवालय व्यय का प्रावधान करता है।

2. **विवेकाधीन अनुदानः** विवेकाधीन अनुदान को उपयुक्त मामलों में स्कीम के नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता जारी करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री के विवेकाधिकार में रखा जाता है।

माध्यमिक शिक्षा

3. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्ः** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी जिसका मुख्य कार्य स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के निर्धारण और उनके कार्यान्वयन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता करना और उसे परामर्श देना है।

4. **केन्द्रीय विद्यालय संगठनः** केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में सरकार ने पूर्णतया वित्त पोषित एक पंजीकृत निकाय के रूप में की थी जिसका कार्य केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, उनका नियंत्रण करना और उनका प्रबंधन करना है। इसका मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। वर्ष 2005-06 के दौरान विशेष ध्यान दिए जाने वाले जिलों में 15 और विद्यालय खोले जाएंगे।

5. **नवोदय विद्यालय समितिः** प्रतिभावान बच्चों, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से वर्ष 1985-86 में देश के प्रत्येक जिले में एक-एक आवासीय स्कूल अर्थात् नवोदय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इन विद्यालयों की स्थापना करने और उनका प्रबंधन करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान विशेष ध्यान दिए जाने वाले जिलों में 10 और विद्यालय खोले जाएंगे।

6. **स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकीः** स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्कीम (आईसीटी) को स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन तथा शैक्षिकी प्रौद्योगिकी (ईटी) की मौजूदा स्कीमों को मिलाकर तैयार की गई है।

7. **विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षाः** यह एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका उद्देश्य सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है ताकि सामान्य स्कूली प्रणाली में उन्हें बनाए रखकर समायोजित किया जा सके। स्कीम के अन्तर्गत आवश्यक शैक्षिक सहायता सामग्रियों और विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की मदद से अल्प से सामान्य तौर पर शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ गैर-सरकारी संगठनों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में "शिक्षा" की धारा 30, पी डब्ल्यू डी अधिनियम,1995 के अध्याय के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करने तथा सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। इस विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिसूचना परिचालित कर दी है।

8. **स्कूलों में गुणवत्ता सुधारः** 10वीं योजना के दौरान एक समेकित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "स्कूलों में गुणवत्ता सुधार" जिसमें विभाग की वर्तमान पांच स्कीमें यथा, विज्ञान शिक्षा में सुधार, स्कूली शिक्षा को पर्यावरणोन्मुख बनाना, योग को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पियाड तैयार की जा रही है।

इस स्कीम के लक्ष्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. ऐसे विकास मूलक आधारभूत ढांचे का पता लगाना और उसके विकास को प्रोत्साहन देना जहां स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को प्रोत्साहन मिले।
2. स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार को प्रोत्साहन देते हुए समानता और विविधता, सामान्य स्कूली प्रणाली तथा सभी के लिए उत्कृष्टता के मुद्दे पर बल देना।
3. विभिन्न स्कूली प्रणालियों सरकारी सहायता प्राप्त अथवा गैर-सहायता प्राप्त स्कूली प्रणालियों के बीच संसाधनों और कौशल की भागीदारी तथा नेटवर्किंग को प्रोत्साहन देना ताकि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सम्पूर्ण सुधार आ सके।

9. **राष्ट्रीय ओपन स्कूल संस्थानः** राष्ट्रीय ओपन स्कूल संस्थान की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी जिसका उद्देश्य अपनी शैक्षिक, जीवन संवर्धन तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जरिए प्राथमिक से प्री-डिग्री स्तर तक विकास संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। यह औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में स्कूल स्तर पर मुक्त अधिकम प्रणाली के जरिए शिक्षा प्रदान करना है।

10. **समानता को सुलभ बनानाः** इस स्कीम के तहत बालिका छात्रावास निर्मित करने हेतु गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है। इस समय इस योजना की समीक्षा की जा रही है।

11. **केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासनः** केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन की स्थापना 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य हमारे देश के दूर दराज के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के 79 स्कूल हैं।

12. **अन्य कार्यक्रमः** इन कार्यक्रमों में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त इण्डो-मंगोलिन स्कूलों, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों, युद्ध के दौरान शहीद हुए/विकलांग हुए सशस्त्र सेना के कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को सहायता देने का प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

13. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के उद्देश्य से संसद के अधिनियम द्वारा 1956 में की गई थी।

14. **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालयः** इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य जनसंख्या के एक बड़े भाग विशेषतः लाभवंचित वर्गों को उच्चतर शिक्षा सुलभ कराना; सततः शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना, ज्ञान व कौशलों में वृद्धि करना; और विशेष लक्षित समूहों जैसे महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों इत्यादि में रहने वाले लोगों के लिए उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमों को शुरू करना था।

15. **विश्वविद्यालय ओर कालेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधनः** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित वेतन समीक्षा समिति की सिफारिशें जो सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं, के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान।

16. **भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्ः** भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की स्थापना भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देती है, अनुसंधान फैलोशिप प्रदान करती है, अनुसंधान पद्धति/कम्प्यूटर अनुप्रयोग के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देती है, अन्तर्राट्रीय अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करती है, शोधकर्ताओं को प्रलेखन सुविधाएं मुहैया कराती है, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करती है और अनुसंधान प्रकाशन करने के साथ-साथ आई.सी.एस.एस.आर. से सहायता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों और क्षेत्रीय केन्द्रों के रख-रखाव और विकास हेतु अनुदान प्रदान करती है।

17. **भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् (आईसीएचआर):** भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की स्थापना 1972 में ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए निधियां उपलब्ध कराने और इतिहास के उद्देश्य एवं वैज्ञानिक अध्ययन की पूर्ति करने के लिए की गई थी। यह परिषद् अध्येतावृत्तियां, यात्रा सहित शिक्षा अनुदान और प्रकाशन संबंधी सहायता प्रदान करती है। यह सेमिनार और अकादमिक सम्मेलन आयोजित करती है तथा ऐतिहासिक अनुसंधान करने हेतु देश में तथा देश के बाहर यात्रा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

18. **राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्ः** राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् को हैदराबाद में दिनांक 19 अक्तूबर,1995 को केन्द सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर ग्रामीण

उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव के लिए सूक्ष्म योजना निर्माण की चुनौतियों का सामना किया जा सके और नेटवर्क को समेकित किया जा सके तथा गांधीवाद पर आधारित शिक्षा और नई तालीम के कार्यक्रमों में लगी संस्थाओं का विकास किया जा सके।

19. **कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग:** कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना राष्ट्रमंडलीय सरकारी अध्यक्षों द्वारा 1988 में की गई थी जिसका मुख्यालय वैंकूवर (कनाडा) में है। इसका अधिदेश- राष्ट्रमंडल के देशों में दूरस्थ शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षमता का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर अध्ययन के अवसरों तक पहुंच का सृजन करना तथा उनका विस्तार करना है।

20. **भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला:** भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान एक आवासीय केन्द है, जिसकी स्थापना चुनिन्दा विषयों जैसे मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, समाज विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों आदि में अनुसंधान और सृजनात्मक विचारों के संर्द्धन को प्रोत्साहित करने के लिए 1965 में की गई थी। आईआईएएस, शिमला प्रत्येक वर्ष उन्नत अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से सम्बन्धित सेमिनारों का आयोजन करता है।

21. **भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली:** भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की स्थापना सरकार द्वारा दर्शनशास्त्र तथा सम्बद्ध संकायों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। परिषद् फेलोशिप प्रदान करती है, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है। सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विद्वानों को अपने पेपर विदेशों में आयोजित होने वाले सम्मेलनों/ सेमिनारों के प्रस्तुत करने हेतु यात्रा अनुदान देती है, बड़ी और छोटी परियोजनाओं को प्रायोजित करती है और प्रकाशन निकालती है तथा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की चौमासिक पत्रिका का प्रकाशित करती है।

22. **भारत कनाडा शास्त्री संस्थान:** शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान की स्थापना भारत तथा कनाडा की सरकारों की संयुक्त घोषणाओं द्वारा 1968 में की गई थी जिसका उद्देश्य मुख्यतः शिक्षण कार्यकलापों को सुसाध्य बनाते हुए भारत तथा कनाडा के बीच सूझ-बूझ को बढ़ावा देना है। 1968 में संस्थान और भारत सरकार के मध्य हस्ताक्षरित करार के अनुसार भारत सरकार संस्थान को निधियां प्रदान कर ही है।

23. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें भारतीय विश्वविद्यालय संघ, डा0 जाकिर हुसैन स्मारक कालेज, अखिल भारतीय महत्व वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों को सहायता बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, भारतीय विज्ञान, दर्शन और संस्कृति परियेाजना के लिए अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।

भाषा विकास

24. **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय:** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना 1960 में एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य हिन्दी भाषा का सम्पर्क भाषा के रूप में प्रचार-प्रसार एवं विकास करना और द्विभाषी/ त्रिभाषी शब्दावली, पत्राचार पाठ्यक्रम हिन्दी लेखकों को पुरस्कार इत्यादि की स्कीमों को संचालित करना है। इस निदेशालय के चार क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी तथा चैन्नई में स्थित है।

25. **वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग:** वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में की गई थी जिसका उद्देश्य हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों का विकास करना है। आयोग विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को अध्ययन के माध्यम के रूप में परिवर्तित करने को सुकर बनाने के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने की स्कीम चलाता है और क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय अकादमियों के साथ भी यह तालमेल करता है।

26. **केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा:** केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा की स्थापना 19 मार्च, 1960 को एक पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और इसके क्षेत्रीय केन्द्र दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी और शिलांग में स्थित है। यह संस्थान इन कार्यों के लिए उत्तरदायी है- अर्थात् किसी विशिष्ट भाषा के प्रयोग वाले क्षेत्र में हिन्दी का प्रचार-प्रसार तथा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना और इसका शिक्षण देना, जनजातीय भाषाओं का सर्वेक्षण के सेवारत हिन्दी शिक्षकों को पत्राचार के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना तथा राज्य सरकार, हिन्दी के प्रचार-प्रसार से जुड़े एजेंटों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा नियुक्त शिक्षकों हेतु अल्पकालिक प्रबोधन पाठ्यक्रम चलाना। यह मंडल हिन्दी के प्रोन्नयन के उद्देश्य से विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी स्कीम का संचालन भी करता है।

27. **भाषा शिक्षकों की नियुक्ति:** हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी तीन विभिन्न स्कीमों को मिला कर एकल स्कीम "भाषा शिक्षकों की नियुक्ति" बनाने का प्रस्ताव किया गया है और इसके तीन मुख्य घटक अर्थात् (I) अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यालयों में हिन्दी शिक्षकों को वेतन देने की व्यवस्था जारी रहेगी। (II) इसी प्रकार राज्य सरकारों के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के वेतन का भुगतान केन्द वहन करेगा। इस स्कीम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यथा-अभिनिर्धारित शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक/जनसंख्या की बहुलता वाले 325 ब्लाकों/जिलों में ही कार्यान्वित किया जाएगा। (III) आधुनिक भारतीय भाषा में घटक के तहत संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भाषा (मातृभाषा/ राजभाषा/राज्य की प्रथम भाषा से भिन्न) जो तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, के शिक्षक के वेतन का भुगतान भी किया जाएगा।

28. **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद:** राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद ने सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों, पुस्तक तैयार करना और प्रकाशन स्कीम, पत्राचार पाठ्यक्रम जैसी स्कीम के माध्यम से उर्दू भाषा और अरबी तथा फारसी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 1.4.1996 से स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करना शुरू किया है।

29. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान:** केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना जुलाई, 1969 में मैसूर में मुख्य परिसर के साथ की गई थी और इसके साथ क्षेत्रीय भाषा केन्द भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ मैसूर, पटियाला, पुणे तथा सोलन में है। यह संस्थान भारत सरकार की भाषा नीति को विकसित/कार्यान्वित करने में सहयोग करता है और भाषा विश्लेषण, भाषा विज्ञान, भाषा तकनीकी तथा समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करके भारतीय भाषाओं के विकास को समेकित करना है। यह विभिन्न भाषाओं के विद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

30. **राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद वड़ौदरा:** राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना अप्रैल,1994 में सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सिंधी साहित्य प्रकाशित करके/सेमिनार/संगोष्ठियां आयोजित करके सिंधी भाषा को विकसित, प्रोन्नत और प्रचार करने के उद्देश्य से की गई थी।

31. **भारतीय भाषा संवर्धन परिषद्:** भारतीय भाषा संवर्धन परिषद् की स्थापना देश में भारतीय भाषाओं के वर्तमान स्तर की समीक्षा करने तथा समय-समय पर भारतीय भाषाओं के संवर्धन, विकास और प्रचार के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए सरकार को उसकी सिफारिश करने के लिए की गई थी।

32. **केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान:** केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान एक पूर्णतः वित्तपोषित सम विश्वविद्यालय है। यह स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, शिक्षण सामग्री तैयार करता है और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान की स्कीम को कार्यान्वित/मॉनीटर करता है और जिले के अंग्रेजी के शिक्षण केन्दों को निधियॉ देता है।

33. **तमिल भाषा के विकास की योजना:** इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं: (i) तमिल भाषा के प्रख्यात विद्वानों को प्रशस्ति पत्र, (ii) तमिल भाषा संवर्धन बोर्ड, (iii) सीआईआईएल, मैसूर में तमिल भाषा विकास उत्कृष्टता केन्द्र, (iv) गैर-तमिलभाषी क्षेत्रों में उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्रवृत्ति पुरस्कार तथा (v) माध्यमिक विद्यालयों में तमिल अध्यापन और प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करना। यह स्कीम इस मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय जो केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान है, के माध्यम से चलाई जाएगी।

34. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान:** राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना 1970 में की गई थी और अब इसे एक समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है। इसकी स्थापना संस्कृत में परंपरागत अध्ययन और अनुसंधान का संरक्षण,

प्रचार और आधुनिकीकरण करने तथा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान द्वारा स्थापित संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां और प्रमाणपत्र प्रदान करता है और विद्वानों को उनके मूल/अनुसंधान कार्य के प्रकाशन हेतु और दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान करता है।

35. **महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैनः** इसकी स्थापना अगस्त, 1987 में एक पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्पराओं का संरक्षण और विकास करना है। यह विभिन्न कार्यक्रम और कार्यकलाप चला रहा है जिनमें वैदिक संस्थाओं और विद्वानों को सहायता, फेलोशिप देना, वेद सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना और प्रकाशन निकालना आदि शामिल हैं।

36. **संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय योजनाः** भारत सरकार, सुविख्यात संस्कृत पंडितों के लिए, संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए, स्कूलों में संस्कृत अध्यापन हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए, संस्कृत स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए, स्कूलों/कालेजों/विद्यापीठों में संस्कृत अध्यापन की प्रणाली में सुधार करने के लिए इस स्कीम के तहत शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

37. **शिक्षा में संस्कृति एवं मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत, परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, पंजीकृत सोसाइटियों, लोक न्यासों और लाभ अर्जित न करने वाली कम्पनियों को स्कूल तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में संस्कृति तथा मूल्यपूरक शिक्षा को सुदृढ़ करने से संबंधित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सामान्य

41. **राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीमः** राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम को दो स्कीमों, यथा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों हेतु माध्यमिक स्तर पर संचालित छात्रवृत्ति स्कीम, को विलय करके तैयार किया गया है। राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति नामक इस नई संशोधित स्कीम को अक्तूबर, 2004 में अनुमोदित किया गया है।

राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य मेधावी छात्रों को सहायता देना और राज्यवार प्रतिभा आधार पर उत्तर मैट्रिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में मान्यता और वित्तीय सहायता देकर शैक्षिक रूप से उत्कृष्टता हासिल करने हेतु इन छात्रों को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण क्षेत्रों के IX से X कक्षाओं के मेधावी और योग्य छात्रों को अलग से भी सहायता देना है। विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम/शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति के लिए भारतीय अध्येताओं का चयन उच्च अध्ययन/विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। कई मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन तथा विदेश में रहने का खर्च विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा वहन किया जाता है।

42. **पुस्तक प्रोन्नतिः**

पुस्तक प्रोन्नति संस्थाएं- राष्ट्रीय पुस्तक न्यासः भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अच्छे साहित्य का सृजन करता है तथा इसके लिए प्रोत्साहन देता है और आम लोगों को सस्ती कीमत पर ऐसे साहित्य उपलब्ध कराता है। भारतीय पुस्तकों और लेखन को प्रोत्साहन और प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है। फ्रेंकफर्ट और टोकियो के वार्षिक पुस्तक मेले दो ऐसे प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन हैं जिनमें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भाग लेता है।

पुस्तक संवर्धन कार्यकलाप और स्वैच्छिक एजेंसियाँः इस स्कीम के अन्तर्गत, पुस्तक संवर्धन कार्यकलापों से जुड़े हुए सेमिनारों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और वार्षिक सम्मेलनों के आयोजन के लिए स्वैच्छिक संगठनों और प्रकाशकों और लेखकों के संघों को सहायता अनुदान संस्वीकृत किया जाता है। प्रतिष्ठित दिल्ली पुस्तक मेला और राष्ट्रीय पुस्तक मेला आदि के आयोजन के लिए विख्यात प्रकाशकों, संघों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

कॉपीराइट

बौद्धिक सम्पदा, शिक्षा, अनुसंधान एवं सार्वजनिक सुलभता स्कीमः इस स्कीम का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालय संस्थाओं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों और संस्थाओं भारत सरकार के साथ, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत पंजीकृत कॉपीराइट सोसायटियों, कॉपीराइट/आईपीआर/डब्ल्यूटीओ मामलों से सम्बंधित कार्यकलापों में लगे हुए लेखकों, प्रकाशकों, कलाकारों, अभिनयकर्ताओं, फिल्म निर्माताओं, पुस्तक विक्रेताओं, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माताओं अथवा डीलरों आदि के स्वैच्छिक संगठनों (जो सोसाइटियॉ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत हैं) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वे इस प्रकार हैः आईपीआर/डब्ल्यूटीओ मामलों से सम्बंधित शिक्षण, अनुसंधान आदि, आईपीआर/कॉपीराइट/डब्ल्यूटीओं मामलों पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन, अध्येतावृत्तियों और फैलोशिप का प्रावधान, प्रबोधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, नोडल संस्थाओं में आईपीआर और डब्ल्यूटीओ साहित्य/सामग्री/केस अध्ययन के लिए एक न्यासी की स्थापना आदि।

अन्तर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संघ- विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन को भारत का अंशदान (योजनेतर): यह स्कीम विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन, जिसका भारत सदस्य है, को भारत का वार्षिक अंशदान पूरा करने के लिए है।

43. **यूनेस्कोः**

यूनेस्को को अंशदानः एक सदस्य होने के नाते भारत को यूनेस्को कार्यक्रम तथा बजट के प्रति अपना अंशदान करना होता है। यह बजट शीर्ष निम्नलिखित मदों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए हैः

(I) अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना संस्थान, पेरिस को स्वैच्छिक अंशदान;

(II) यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय को किराया परिदान की प्रतिपूर्ति; और

(III) महानिदेशक यूनेस्को की अपील पर कोई अन्य स्वैच्छिक योगदान।

निम्नलिखित स्कीमें यूनेस्को प्रभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैः

यूनेस्को सम्मेलन आदि में प्रतिनियुक्ति और वहां शिष्टमंडल भेजनाः इस शीर्ष का उद्देश्य यूनेस्को के आम सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल गैर सरकारी सदस्यों पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु तथा यूनेस्को की कार्यकारी बैठकों में सहभागिता के लिए (वापसी आतिथ्य सत्कार के लिए) होने वाले व्यय को पूरा करना है।

यूनेस्को हाउस का निर्माण कार्यः यह शीर्ष शहरी विकास मंत्रालय के बजट से संचालित किया जाता है और इसका उद्देश्य यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के लिए एक अलग से भवन का निर्माण कार्य करना है। इस समय हम इस कार्यालय के किराये की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं।

ओरोविले प्रबन्धनः भारत सरकार ने ओरोविले (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1980 के संदर्भ में 1980 में सीमित अवधि के लिए आरोविले प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और इसे ओरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 को हस्तांतरित कर दिया। ओरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम में आरोविले के विभिन्न विकास तथा निर्माण कार्यकलापों और एस.ए.आई.आई.ई.आर. स्कीम सहित प्रतिष्ठान के प्रबंधन हेतु केन्द सरकार द्वारा अनुदानों को संस्वीकृत करने का प्रावधान है।

44. **आयोजना मानदंडः**

(I) ***राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थानः*** राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित और पूर्णतया वित्त पोषित, एक स्वायत्त संगठन है। संस्थान का उद्देश्य शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन में अनुसंधान शुरू करना, उसे प्रोत्साहित करना तथा समन्वित करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएँ प्रदान करना, अन्य एजेन्सियों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ सहयोग के लिए केन्द तथा राज्यों के मुख्य स्तर के अधिकारियों तथा वरिष्ठ स्तर के प्रशासकों को प्रशिक्षण और प्रबोधन देना, अन्य देशों, विशेषतौर पर एशियाई क्षेत्र के देशों को राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु सहायता प्रदान करना तथा पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों को तैयार करना, मुद्रित करना एवं प्रकाशित करना, अन्य देशों के साथ शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव और कुशलता का आदान-प्रदान करना तथा इन उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना है।

(II) ***शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन, आदि हेतु सहायता स्कीम:*** शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन आदि की स्कीम का उद्देश्य प्रत्येक प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर योग्य संस्थाओं और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रबन्धन और कार्यान्वयन पहलुओं को सीधे प्रभावित करने वाले विविध कार्यकलापों के लिए निधि प्रदान की जा सके।

(III) ***राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग:*** संसद अधिनियम (2005 की सं02) के माध्यम से "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग-2004" के नाम से एक आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर राज्य तथा केन्द सरकार को परामर्श देगा।

अध्याय V के खंड 14 के उपखंड (1) तथा (2) के अनुसार, केन्द सरकार आयोग को इसके कार्यकरण के लिए अनुदान प्रदान करेगी। इस प्रकार वर्ष 2005-2006 के लिए अनुदान मांगों में इस प्रावधान का प्रस्ताव है।

(IV) ***क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम:*** इस योजना के दो घटक हैं: (I) अवसंरचनात्मक विकास; इस योजना को मई, 1993 में लागू किया गया ताकि शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना और सुविधाएं प्रदान की जा सकें; बालिकाओं के लिए नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों और आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की जा सके; वर्तमान स्कूलों में शैक्षिक अवसंरचना और भौतिक सुविधाओं को सशक्त किया जा सके और जहां विज्ञान, वाणिज्य, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हों वहां बालिकाओं के लिए बहु-धारा के आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को खोला जा सके। इस योजना के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को 100: सहायता प्रदान की जाती है। (II) मदरसा का आधुनिकीकरण: इस योजना का मूल उद्देश्य मदरसा और मकतब जैसे परंपरागत संस्थानों को अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा 100: वित्तीय सहायता वाली केंद ीय योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का दसवीं पंचवर्षीय योजना में विलय कर दिया गया है।

45. **आंकड़े:** इस योजना, जो अभी भी प्रारूप स्तर पर है, के द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर वर्तमान सांख्यिकी स्टाफ को आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रशिक्षण प्रदान करने का विचार है।

46. **प्रशासन:** इसमें विदेशों में स्थित शैक्षिक संस्था के लिए भी प्रावधान है।

तकनीकी शिक्षा

47. **सामुदायिक पालिटेक्निक योजना:** सामुदायिक पालिटेक्निक योजना की शुरूआत वर्ष 1978-79 में भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की प्रत्यक्ष केंद ीय सहायता योजना के रूप में की गई थी। इस योजना के विद्यमान मानकों के तहत 7.25 लाख रू. की एककालिक अनावर्ती सहायता अनुदान तथा 7.00 लाख रू. तक की अधिकतम वार्षिक आवर्ती सहायता अनुदान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा स्तरीय चुनिंदा संस्थाओं को दिया जाता है। इस योजना का लक्ष्य स्कूल छोड़ने वाले छात्रों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य सुविधाहीन वर्गों को रोजगार दिलाने/स्व-रोजगार द्वारा अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का है।

48. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान:** प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में खडगपुर, मुम्बई, मद ास, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी और रूड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना, संगत क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा शिक्षा को बढ़ावा देना और ज्ञान का प्रसार करना है।

49. **क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान:** बिहार इंजीनियरी कालेज सहित सभी 18 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों को "मानद विश्वविद्यालय" के स्तर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदल दिया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को मानद विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष विचाराधीन है। 21.5.2003 से इन सभी 18 संस्थानों को केंद सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संस्थानों के रूप में ले लिया गया है। केंद सरकार द्वारा योजना और योजनागत बजट के अन्तर्गत इन संस्थानों को 100: निधियां प्रदान की जाती हैं। चालू वित्त वर्ष 2004-2005 के दौरान योजना के अन्तर्गत 80.00 करोड़ रू. और योजनागत के अन्तर्गत 156.42 करोड रू. का बजट है।

50. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना:** इस योजना में स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों तथा 10+2(व्यवसायिक) उत्तीर्ण छात्रों को विभिन्न उद्योगों तथा अन्य संगठनों में प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुरूप व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करने का प्रावधान है।

51. **भारतीय प्रबंधन संस्थान:** प्रबंधन में शैक्षिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ इंदौर और कालीकट में 6 भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना "उत्कृष्ट केंदों" के रूप में की गई। ये संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम, फैलोशिप कार्यक्रम, प्रबंध विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। संस्थान अनुसंधान और परामर्श के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और देश में औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहे हैं।

52. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर:** भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की स्थापना वर्ष 1909 में की गई थी। जिसका उद्देश्य इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी एवं आधारभूत विज्ञानों के क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना तथा अनुसंधान कार्य करना है।

53. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्:** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1945 में एक सलाहकार संगठन के रूप में की गई। वर्ष 1987 में संसदीय अधिनियम द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया जो कि 28 मार्च 1988 से लागू हुआ। अपने विभिन्न कार्यकलापों को समर्थन प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कोलकाता, भोपाल, बंगलौर, चंडीगढ़ और मुम्बई में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रमुख कार्य पूरे देश में तकनीकी शिक्षा का योजनागत और समन्वित विकास करना, मात्रात्मक संवृद्धि की तुलना में गुणवत्तामूलक सुधार को बढ़ावा देना तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों और स्तरों को बनाए रखना है।

54. **प्रौद्योगिकी विकास मिशन:** प्रौद्योगिकी विकास मिशन की स्थापना 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में खाद्य संस्करण, इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड कम्पीटेटिव, फोटोनिक्स साधनों एवं प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा कार्यकुशल प्रौद्योगिकियों, संचार नेटवर्किंग तथा इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, न्यू मेटिरियल्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में की गई।

55. **विकलांगों के लिये पालिटेक्निक:** इस योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग (अस्थि विकलांग, आंशिक रूप से मूक व बधिर) को मुख्य धारा में जोड़ने के निमित्त देश के विभिन्न भागों में स्थित 50 विद्यमान पालिटेक्निकों का चयन एवं स्तरोन्नयन।

56. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर:** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर की स्थापना व्यापक प्रबंधकीय कौशलों सहित सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी। इस संस्थान को 2001 में सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है।

57. **राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई:** राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई की स्थापना भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से यू.एन.डी.पी. की सहायता से एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में वर्ष 1963 में की गई थी। एन.आई.टी.आई.ई. को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केंद के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

58. **राष्ट्रीय गढ़ाई एवं ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची:** राष्ट्रीय गढ़ाई एवं ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची की स्थापना भारत सरकार द्वारा यूनेस्को- यू.एन.डी.पी. के सहयोग से वर्ष 1956 में की गई। इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गढ़ाई, ढलाई तथा संबद्ध प्रौद्योगिकियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों का आयोजन तथा ऐसे उद्योगों को प्रौद्योगिकीय मार्गदर्शन तथा प्रलेखन सेवाएं प्रदान करना है।

सं.58/माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग

59. **आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली:** आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1959 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण, शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना, वास्तुकला तथा सम्बद्ध विषयों के क्षेत्रों में शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना है। वर्ष 1979 में इस संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

60. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान:** भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई एवं कोलकाता में स्थित ये संस्थान एम.टेक पाठ्यक्रमों के संचालन के अलावा पॉलिटेक्निकों, उद्योगों तथा समुदाय के लिए आयोजना, डिजाइनिंग, गुणवत्तामूलक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन तथा शैक्षणिक पैकेज आयोजित करने के कार्य में सक्रिय है।

61. **संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल:** संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 1989 में की गई। यह संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के साथ-साथ व्यावहारिक विज्ञान विषयों में कुशल जनशक्ति के सृजन हेतु एक मॉडल संस्था के रूप में कार्य करता है।

62. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद:** सूचना प्रौद्योगिकी तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास करने हेतु भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद की स्थापना की गई। संस्थान को 2001 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था।

63. **भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद:** भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद की स्थापना खनन उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने हेतु वर्ष 1926 में की गई। भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद प्रबंध, इलैक्ट्रानिक, पर्यावरणीय विज्ञान और इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, व्यावहारिक विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञानों के संबद्ध क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के अलावा खनन, पेट्रोलियम, खनन यांत्रिकी, खनिज इंजीनियरी और भू-विज्ञानों के क्षेत्रों में मानव संसाधन की राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। (वर्ष 1967 में भारतीय खनन विद्यालय को केन्द सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में परिणत किया गया तथा उसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।)

64. **अनुसंधान तथा विकास योजना:** अनुसंधान तथा विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी के अन्तर विषयक तथा नये उभरते क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं का निधियन करना है। इस योजना में मौजूदा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुमुखी सुधार करने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तकनीकी क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस योजना में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थान शामिल हैं।

65. **अप्रचलितों को हटाने तथा आधुनिकीकरण की योजना:** इस योजना के तहत उपस्कर, मशीनों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं तथा पुस्तकालयों एवं सम्बन्धित सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्यतन प्रगति को देखते हुए तकनीकी संस्थाओं की कार्यात्मक दक्षता को बढ़ाने हेतु आधुनिकीकरण किया जाता है।

66. **तकनीकी शिक्षा में विशिष्ट क्षेत्र योजना:** तकनीकी शिक्षा में विशिष्ट क्षेत्र योजना के निम्नलिखित घटक हैं :-

(i) प्रौद्योगिकी के निर्णायक क्षेत्रों, जहां कमजोरी व्याप्त है, में सुविधाओं को मजबूत करना;

(ii) प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में आधारिक संरचना का निर्माण;

(iii) नए और/अथवा समुन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और विशेष क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम प्रदान करना।

यह योजना इस मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, द्वारा 1996-97 तक कार्यान्वित की गई थी। तथापि केन्द्रीय संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को इस मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 1997-98 से कार्यान्वित किया जाएगा। केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित संस्थानों के मामले में इस मंत्रालय में इस योजना को 1997-98 से कार्यान्वित किया गया है।

67. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना:** प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और मुम्बई में स्थित प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण के 4 क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत कार्यान्वित की जाती है।

68. **व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान:** इस परियोजना को विश्व बैंक के सहयोग से राज्य-क्षेत्रीय परियोजना के रूप में दो चरणों में शुरू किया गया था। प्रथम तकनीशियन शिक्षा परियोजना दिसम्बर, 1990 में प्रारंभ हुई और सितम्बर, 1998 में समाप्त हुई। द्वितीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना जनवरी, 1992 में शुरू हुई और अक्तूबर, 1999 में समाप्त हुई। इन दोनों परियोजनाओं से 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 532 पालिटेक्निक लाभान्वित हुए और विश्व बैंक ने इन परियोजनाओं को अत्यधिक संतोषजनक का दर्जा दिया है। सरकार ने 12 मौजूदा और 7 नये पालिटेक्निकों को शामिल करने हेतु विश्व बैंक की सहायता से तृतीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना नामक एक अन्य परियोजना तैयार की है।

69. **व्यावसायिक शिक्षा:** जैसी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में परिकल्पना की गई है, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाना वैयक्तिक रोजगारिता को बढ़ाने, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बेमेल को घटाने के लिए शिक्षा की विविधता के अवसर प्रदान करता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए विकल्प प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत कृषि, बिजनेस और वाणिज्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल, सामाजिक विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों के 10+2 स्तर पर रोजगारोन्मुखी कोर्स प्रदान किए जा रहे है।

72. **अन्य कार्यक्रम :**

(i) ***एज्युकेशनल कंसलटैंट्स इंडिया लिमिटेड (एडसिल):*** शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, पाठ्यचर्या विकास, जनशक्ति की आवश्यकता के निर्धारण, सर्वेक्षण कार्य करने आदि जैसी तकनीकी सहायता गतिविधियों पर बल देते हुए विभिन्न शैक्षिक परियोजनाएं शुरू करने हेतु 1981 में भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में एडसिल की स्थापना की गई थी। एडसिल विगत 15 वर्षों से लाभ कमाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रहा है और भारत सरकार को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान कर रहा है।

(ii) ***एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (ए.आई.टी.), बैंकाक:*** एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (ए.आई.टी.) की स्थापना 1957 में एस.ई.ए.टी.ओ. के सदस्य राज्यों की तकनीकी शिक्षा की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य के साथ एस.ई.ए.टी.ओ. ग्रेज्युएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में हुई थी।

(iii) ***अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग:*** विज्ञान सहयोग, विदेश में शिष्टमंडल भेजने हेतु विदेशी शिष्टमंडल के दौरे पर खर्च, तकनीकी सहायता में सहयोग पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/सम्मेलन के आयोजन के साथ अनुमोदित सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम/शैक्षिक विनियम एस एंड टी कार्यक्रम के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ सहयोग हेतु इस योजना के तहत आई.आई.टी., आई.आई.एम., आई.आई.एस.सी., आई.एस.एम. जैसी ख्यातिप्राप्त संस्थाओं तथा जे.एन.यू., डी.यू., इग्नू, बी.एच.यू. आदि जैसे विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाती है।

(iv) ***सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:*** सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जनशक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय गठित कार्य दल की अनुशंसा पर मानव संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि उस अवसर का लाभ उठाया जा सके जो सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा देश को उपलब्ध कराया गया है।

(v) ***भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम:*** प्रस्तावित कार्यक्रमों के तहत मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: (I) शैक्षिक उत्कृष्टता का विकास करना, (II) इंजीनियरी संस्थाओं का नेटवर्क बनाना, (III) प्रबंध क्षमता का विकास करना। प्रथम चरण के दौरान कार्यक्रम प्रतिस्पर्धी आधार पर चुने गए 70 से 80 इंजीनियरी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिसमें 18 अग्रणी संस्थाएं तथा शेष नेटवर्क संस्थाएं शामिल होंगी। जारी की गई कुल राशि के 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जा रही है।

(vi) ***जैव-प्रौद्योगिकी में शिक्षा के उन्नयन पर विशेष बल:*** जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान पर विशेष बल देने के लिए आई.आई.टी और आई.आई.एस.सी., बंगलौर जैसी प्रमुख संस्थाओं पर बल के साथ एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख संस्थानों में जैव-प्रौद्योगिकी के

पूर्ण-सुविधायुक्त विभाग होंगे और ये इस क्षेत्र में अवर-स्नातक, अधिस्नातक तथा डॉक्टोरल स्तर के कार्यक्रमों की शुरूआत करेंगे।

(vii) ***राष्ट्रीय भूकम्प इंजीनियरिंग शिक्षा कार्यक्रमः*** देश में भूकम्प इंजीनियरिंग में शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए भूकम्प इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.ई.ई.) क्रियान्वित किया जा रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्य-सामग्री का विकास, पुस्तकालय संसाधनों का विकास, आधारभूत और उन्नत शिक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशालाएं, भूकम्प इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग और स्थापत्य कला संस्थानों को सुग्राह्य बनाना और देश में व्यावसायिक इंजीनियरों और वास्तुविदों को प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन इस कार्यक्रम में शामिल हैं।

(viii) ***दूरस्थ शिक्षा और वेब आधारित अध्ययन हेतु सहायताः*** दूरस्थ और वेब आधारित अध्ययन तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। शिक्षुओं की संख्या की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा पर दबाव से सामान्यतया जनता तक और विशेष रूप से वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी। प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ix) ***संसाधनों को इष्टतम बनाने के लिए संस्थाओं के नेटवर्किंग हेतु सहायताः*** भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान देश में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श संस्थान बन गए हैं। इन्होंने गत वर्षों के दौरान प्रणाली एवं प्रक्रिया, अध्ययन-अध्यापन प्रविधि, अनुसंधान परिवेश तथा एक ऐसी संस्कृति विकसित की है जो विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं से तुलनीय है। इसके अलावा देश में ऐसी संस्थाओं की संख्या भी काफी है जिनमें उत्कृष्ट बनने की क्षमता है बशर्ते कि उनकी मुक्त हस्त से सहायता की जाए।

(x) ***पालिटेक्निक अवसंरचना विकास कार्यक्रमः*** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 10वीं योजना अवधि के दौरान 185 विशेष ध्यान दिए जाने वाले जिलों में स्थित 185 वर्तमान पालिटेक्निकों में आधारभूत सुविधाओं के स्तरोन्नयन हेतु एक स्कीम तैयार की है। इन जिलों का निर्धारण अल्पसंख्यक बाहुल्य, अनुसूचित जाति की बालिकाओं की साक्षरता दर, आई.टी.डी.पी., अनुसूची V और अनुसूची VI के तहत शामिल क्षेत्रों के आधार पर किया गया है।

(xi) ***नए पालिटेक्निकों की स्थापनाः*** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 10वीं योजना अवधि के दौरान ध्यान दिए जाने वाले 185 विशेष जिलों में स्थापित मौजूदा 185 पालिटेक्निकों के आधारभूत ढांचों को उन्नत बनाने के लिए योजना तैयार की है। इन जिलों का निर्धारण अल्पसंख्यक बाहुल्य, अनुसूचित जाति को बालिकाओं की साक्षरता दर, आई.टी.डी.पी., अनुसूची V और अनुसूची VI के तहत शामिल क्षेत्रों के आधार पर किया गया है।

(xii) ***भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और निर्माण संस्थान, जबलपुरः*** सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने, अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार ने जबलपुर में एक संस्थान की स्थापना का विचार किया है। संस्थान को एम.पी. सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत रजिस्ट्रार सोसायटीज के साथ पंजीकृत किया गया है।

7.2.2005 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया।

73. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (नेरिस्ट):** पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (नेरिस्ट), ईटानगर 1986 में पूर्वोत्तर के विकास हेतु इन्जीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साथ ही अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति पैदा करने हेतु स्थापित किया गया।